in the House. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Sit down. ...(Interruptions)... I will allow you later. ...(Interruptions)... You don't worry. ...(Interruptions)... I will take care of that. ...(Interruptions)... That is why I am trying to reduce it to one hour. You are not understanding that. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am not asking to reduce it. ...(*Interruptions*)... I am only pleading that the Lok Sabha is sitting. ...(*Interruptions*)... Please call the Minister. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. I am trying to reduce two hours to one hour. So, you also cooperate with me rather than getting angry. ...(*Interruptions*)... You also cooperate with me. ...(*Interruptions*)... The sense of the House is one hour for discussing this Bill. Mr. Reddy I will allow you after this Bill is passed. Now, Mr. Piyush Goyal.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It can't be one hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will get your time.

GOVERNMENT BILLS — Contd.

The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL; AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, be taken into consideration.

At the outset, I would like to thank the Chair, hon. Members and leaders of all political parties in this House for having agreed to take up this very important Bill on the last day of the first half of the Budget Session. I believe there is scope for constructive criticism.

[SHRI PIYUSH GOYAL]

उपसभापति जी, सभी सम्मानित सदस्यों ने जो-जो भावनाएँ प्रकट की हैं, सदन में अलग-अलग भावनाएँ आई हैं, कुछ भावनाएँ सदन के बाहर आई हैं, कुछ भावनाएँ प्रवर समिति के माध्यम से हमारे पास आई हैं, मैं सभी सम्मानित सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए सदन को यह आश्वासन दिलाता हूं कि जो-जो अच्छे विचार इस डिबेट के दौरान आए, सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति में आए और सदन के बाहर भी जो विचार हमारे सामने रखे गए हैं, उन सभी का सम्मान किया जाएगा, उन सभी पर गौर किया जाएगा और कोई नज़रअंदाजी नहीं होगी जिससे हम किसी प्रकार के अच्छे सुझाव को मिस नहीं करें। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि देश में नेचुरल रिसोर्सेज़ का आवंटन एक ट्रांसपेरेन्ट और ईमानदार तरीके से ऑक्शन द्वारा किया जाए। उस ऑक्शन में कोई बाधा न आए, उसके लिए यह कानून लाया गया है। इस ऑक्शन को और बेहतर बनाने के लिए हम आप सभी के सुझावों का सम्मान करेंगे।

मैं आज सिर्फ उन बिंदुओं पर सदन का थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करूंगा, जो सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति में सम्माननीय सदस्यों ने रखे थे। सबसे पहली बात, जो कई बार कही जाती है कि इस कानून की आवश्यकता क्या थी? मैंने पूरे एमएमडीआर ऐक्ट को स्टडी किया है। 2010 में जो पहले ऐक्ट बना था और उसके जो रूल्स बने थे, वे सब मेरे पास हैं। उसमें अच्छे प्रावधान लाए गए थे, लेकिन ऑक्शन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ऑक्शन में बिजली की कीमतें कम रख सकें, बिजली की वे कीमतें कम रखने का सिस्टम हम इस बिल और उसके रूल्स के माध्यम से कर पाए हैं। जो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जमीन के प्रॉयर एलॉटीज़, जिनको पूर्व में आवंटन हुआ था, उनसे लेने के प्रावधान की आवश्यकता भी पड़ी थी, उसकी वजह से यह कानून लाना पड़ा। मैं सभी सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि यह कानून जरूरी था, यह जबर्दस्ती नहीं लाया गया है और इसके बगैर ऑक्शन नहीं किया जा सकता था।

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो बार-बार उठा है, वह लेबर का, कामगारों का, रोजगार और उनके पुराने ड्यूज़ का है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि जो प्रावधान लाए गए हैं, उसमें एक प्वाइंट स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो रेलेवेन्ट रूल्स, कोई भी कानून में हों और जो लॉज़ हैं, रेलेवेन्ट लॉज़, उन सब का आदर किया जाएगा, सबका पालन किया जाएगा। फिर भी सदस्यों की भावनाओं को स्वीकार करते हुए, इस कानून के जो रूल्स हैं, उसमें हम कामगारों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे, जिससे उनके ड्यूज का, प्रॉयरिटी पेमेंट में लिया जाए। प्रॉयर एलाटीज़ के पैसों में से पहले कामगारों को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ दर्ज़ा मिले, जोकि कानून में दिया गया है, वे हम रूल्स में ले आएंगे।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी ने 6th शेड्यूल की बात अमेंडमेंट्स में भी की है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह कानून 204 माइनों के लिए सीमित है और 204 माइनों में 6th शेड्यूल की कोई भी माइन नहीं आती है, इसलिए 6th शेड्यूल इस पर एप्लाई नहीं करता है। एक विषय कई बार आया कि एंड यूज से रेस्ट्रिक्शन क्यों उठाई जा रही है। यह इसलिए किया जा रहा है कि आज देश में 8-10 करोड़ महिलाएँ जो 2 किलो, 4 किलो कोयला खरीदती हैं, वे काला बाजार से 20 रुपए/25 रुपए प्रति किलो खरीदती हैं। उनको सस्ता कोयला मिले, आसानी से उपलब्ध हो, उनके घर का चूल्हा अच्छी तरह जले, सस्ता जले, इसके लिए एक बार सबकी, कोयले की एंड यूज मीट हो जाए, इसलिए अगर कुछ खदानों को कॉमर्शियल माइनिंग के लिए एलाऊ कर Government

दिया जाए, तो उससे थोड़ी स्पर्द्धा बढ़ेगी, कंपीटिशन आएगा। उससे जो छोटे कारखाने हैं, ईंटों के भट्ठे हैं, छोटे बॉयलर वाली रिफ्रेक्टरीज़ हैं, माननीय सदस्य नरेश अग्रवाल जी बार-बार कहते हैं कि स्मॉल स्केल, कॉटेज, एमएसएमई का ध्यान रखिए, उन सबको सस्ती दर पर कैसे कोयला मिले, उसके लिए यह किया गया है, लेकिन सबकी एंड यूज रिक्वायरमेंट मीट हो, बिजली की रिक्वायरमेंट मीट हो, उसके बाद अगर यह थोड़ी मात्रा में किया जाए, तो यह देशहित में है, जनता के हित में है।

कई बार एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की बात की जाती है कि एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की क्लियरेंस पहले क्यों नहीं ली जाए, before we give the mines for auction. यह इसलिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के लिए जमीन होना जरूरी है। जमीन खरीदने के बाद ही ये क्लियरेंसेज़ हो सकती हैं, इसलिए इनको पहले से प्रायर रिक्विजिट नहीं बनाया जा सकता है।

एक आखिरी विषय, जो अभी तक की चर्चा में आया है, वह यह था कि स्टेट्स को एंड यूज़ में क्यों नहीं कंसल्ट किया जा रहा है? यह नेशनल मिनरल इसीलिए घोषित किया गया है कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से कोयले की खदानें जनता की सेवा में लगें, इसलिए इसको नेशनल मिनरल बनाया गया है। फिर भी हम हर एक स्टेट के साथ इनफॉर्मल कंसल्टेशन कर रहे हैं। राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहमति है। हम इसमें स्टेट्स के पूरे इंट्रेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह मैं सदन को आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, the motion is moved. There is one amendment by Shri P. Rajeeve, for committal of The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, to the same Select Committee for further consideration. The Member may move the amendment now.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I move :

"That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Select Committee of the Rajya Sabha, be recommitted to the same Select Committee for further consideration, with instructions to report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the next Session."

Sir, I have proposed the amendment to recommit the Bill to the Select Committee in order to uphold the democratic principles of the functioning of the Select Committee. This should send a message to all future Select Committees that if they do not function in a proper manner, this House is supreme, and the House has the power [Shri P. Rajeeve]

as per the existing rules, to recommit the same Bill to the same Committee for further examination. So, I move my amendment.

The questions were proposed.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, it is a very unfair comment. The Select Committee, in its collective wisdom, has discussed it and sent it back. If you are not satisfied, that is a different matter. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have every right to express my opinion. I am expressing my opinion. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(*Interruptions*)... Let us not have a ...(*Interruptions*)...

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : सर, बदनौर साहब आपके पैनल पर हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not start a new controversy. Let us proceed with the Bill. Both the motion and the Bill are ready for discussion.

SPECIAL MENTIONS*

Demand to withdraw the proposal to amend Section 498A of I.P.C.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Digvijaya Singh. ...(Interruptions)... What is the matter, Mr. Reddy? ...(Interruptions)...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I want to leave for Hyderabad. My wife is seriously ill. I may be permitted to lay my Special Mention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may lay it and leave.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, violence against women is violence against humanity and human rights. The hon. Supreme Court has rightly observed in 2010 that Section 498A is a weapon in the hands of disgruntled women, as it protects married women from being subjected to cruelty by the husband and his relatives, as it is working as a shield for women.

Now, the Government is proposing to amend Section 498A and making the offence compoundable and it also proposes to allow compromise and settlement between the

^{*} Laid on the Table.